



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, (छ0ग0)
ज्ञापन

क्रमांक 198/एल0सी0/2017
प्रति

जगदलपुर, दिनांक 13/ 09/2017

प्रभारी अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)
जिला कार्यालय, जगदलपुर,
जिला बस्तर ।


विषय :- विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व- सक्रिय प्रकटीकरण सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 4(1)क(ख) में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 16/छ0सू0अ0/17 जगदलपुर दिनांक 05.09.2017 ।

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लायसेंस शाखा में संपादित किये जाने वाले विभागीय कार्यों की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- एक प्रति ।


कार्यपालिक दण्डाधिकारी
वास्ते जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर

लायसेंस शाखा में होने वाले कार्यों की जानकारी

- 1.- शस्त्र लायसेंस - आत्म रक्षार्थ शस्त्र धारण करने नवीन शस्त्र लायसेंस की अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है एवं उक्त शस्त्र लायसेंसों का नवीनीकरण का कार्य किया जाता है।
02. उत्तराधिकारी को शस्त्र लायसेंस हस्तांतरण :-शस्त्र लायसेंसी की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिस को उत्तराधिकारी के हैसियत से शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किया जाता है।
03. सिनेमा लायसेंस :- सिनेमा लायसेंस स्वीकृत किया जाता है। एवं नवीनीकरण किया गया है।
04. एलपीजी गैस/केरासीन विक्रय भण्डारण हेतु लायसेंस प्राप्त करने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
05. विस्फोटक उपयोग हेतु लायसेंस:- विस्फोटक पदार्थ के उपयोग हेतु मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन(पेसो) द्वारा विस्फोटक लायसेंस स्वीकृत किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विस्फोटक पदार्थ के उपयोग हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
06. विस्फोटक पदार्थ विक्रय हेतु लायसेंस:- विस्फोटक पदार्थ के विक्रय हेतु मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन(पेसो) द्वारा विस्फोटक डिलर लायसेंस स्वीकृत किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विस्फोटक पदार्थ के विक्रय हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
07. अतिशबाजी अनुज्ञप्ति:-त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के विक्रय हेतु अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति स्वीकृति किया जाता है।
08. पेट्रोल/डीजल :- पेट्रोल/डीजल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



कार्यपालिक दण्डाधिकारी

वास्ते जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर

